राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 823 / SEIAA/2022
Date: 23/6/22

प्रति,

श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री नरेंद्र बहादुर सिंह
निवासी बाणहंगावं तहसील–रघुराजनगर
जिला सतना (म.प्र.)

विषयः प्रकरण कमांक 7322/2020 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मंजू सिंह पत्नी श्री नरेंद्र बहादुर सिंह निवासी बाणहंगावं तहसील– रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, उत्पादन क्षमता 18530 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.70 हेक्टेयर, खसरा 2पी, ग्राम बिहरा तहसील कोठार, जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 731वीं बैठक दिनांक 08.06.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

SEIAA की 722वी बैठक दिनांक 07.05.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय मुद्दों के दृष्टिगत निरस्त किया गया है।

SEAC की 566वी बैठक दिनांक 23.04.2022 की अनुशंसा तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

*SEAC की अनुशंसा **अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम 120 मीटर पर पक्का रोड़ स्थित है, 110 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट, खदान के मध्य भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है साथ ही प्रस्तावित खदान के पश्चिमी भाग में 35 पेड़ लगे होना परिलक्षित है।***

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा एवं विचारविमर्श उपरांत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पत्र दिनांक 28.05.2022 के माध्यम पर पुनः परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता द्वारा SEIAA समिति के समक्ष ऑनलाईन स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरण संवदेनशीलता को देखते हुए तथाप्रकरण से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में आपको सूचित किया जाता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर पुनः नवीन आवेदन करें, तद्परांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

O/C (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी